

अजमेर सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर

क्रमांक / आवि० / 2016–17 /

दिनांक :— 9.6.2016

शाखा प्रबन्धक / ऋण पर्यवेक्षक
शाखा.....

विषय :— सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा बाबत।

प्रसंग :— युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि० के पत्र क्रमांक / मंका.
2016–17 / 197 दिनांक 2.6.2016

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 2016–17 के लिए सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम के नियमों व शर्तों के तहत बीमितों के दावों का तीव्र निस्तारण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :—

1. बीमित के दुर्घटना की सूचना पॉलिसी की शर्तों के अनुसार सात (7) दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाये, किसी कारण 7 दिन में नहीं भिजवा सकें तो 15 दिन में विलम्ब का कारण के साथ प्रेषित करें।
2. दावा सूचना के पश्चात दावा संबंधी सभी दस्तावेज अधिकतम 30 दिवस में ही भेजने का कष्ट करें।
3. दावा दस्तावेजों में निम्न दावा पेपर साथ में भेजें।
 1. दावा फार्म
 2. एफ.आई.आर. (पुलिस)
 3. फाईनल रिपोर्ट (पुलिस)
 4. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
 5. यदि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में एफएसएल के लिए लिखा है तो वह भी अवश्य भेजें।
 6. यदि दुर्घटना के पश्चात अस्पताल में इलाज हुआ है तो उसका विवरण सभी तरह के दस्तावेज भेजें।
 7. यदि दुर्घटना की सूचना अखबार में आई हो तो उस अखबार की कटिंग भी साथ संलग्न करें।
 8. बीमित के सभी दस्तावेज बैंक अधिकारी या समिति के अधिकारी द्वारा सत्यापित कर भेजें।
 9. किसान क्रेडिट कार्ड की पासबुक की प्रतिलिपि भेजे।
10. स्थाई अंपगता में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट अवश्य भेजें।
4. संलग्न दावा सूचना पत्र में ही सूचना भरकर भेजे, जिससे दावा सही एवं समय पर प्राप्त हो सकें।
5. पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही दावा सूचना पत्र तैयार कर शीघ्र अतिशीघ्र भिजवाये ताकि दावा निस्तारण तुरन्त हो सकें।

संलग्न — दावा सूचना पत्र।

प्रबन्ध निदेशक

अजमेर सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा.....
क्रमांक..... दिनांक.....

दावा सूचना पत्र

श्रीमान वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक
युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
मण्डलीय कार्यालय, तृतीय
एल.आई.सी. बिल्डिंग जीवन निधि गा
अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड,
जयपुर— 302005

विषय :— स्व..... का किसान क्रेडिट धारकों के लिए
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम बाबत सूचनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि..... सदस्य.....
ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० शाखा क्षेत्र..... का किसान क्रेडिट धारकों के
लिए सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम की सूचना प्राप्त हुई है।
उत्तराधिकारी से प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है :—

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. मास्टर पॉलिसी संख्या | — | |
| 2. नाम | — | |
| 3. ग्राम सेवा सहकारी समिति | — | ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० |
| 4. शाखा क्षेत्र | — | |
| 5. मृत्यु/दुर्घटना की दिनांक | — | |
| 6. नॉमिनी का नाम | — | |
| 7. सम्बन्ध | — | |
| 8. बैंक द्वारा प्रेषित सदस्यों की सूची में ऋणी का नाम क्र.स. | | पर अंकित है
तथा समिति का नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० यह सूची बैंक
पत्र क्रमांक..... दिनांक कुल समितियां सदस्य.....
के साथ संलग्न है। |

भवदीय

प्रबन्धक

अजमेर सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा-----

क्रमांक.....

दिनांक.....

श्रीमान वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक
युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
मण्डलीय कार्यालय, तृतीय
एल.आई.सी. बिल्डिंग जीवन निधि आ
अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड,
जयपुर— 302005

विषय :— स्व..... का किसान क्रेडिट धारकों के लिए व्यक्तिगत
दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि..... सदस्य..... ग्राम सेवा
सहकारी समिति लि० शाखा क्षेत्र..... का किसान क्रेडिट धारकों के लिए सहकार व्यक्तिगत
दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है।

अतः उत्तराधिकारी से प्राप्त मूल दस्तावेज सहित क्लेम स्वीकृति हेतु भिजवाये जा
रहे हैं सदस्य के संबंध में प्राप्त जानकारी/सूचना निम्न प्रकार है :—

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. मास्टर पॉलिसी संख्या | — | |
| 2. नाम | — | |
| 3. ग्राम सेवा सहकारी समिति | — | ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० |
| 4. शाखा क्षेत्र | — | |
| 5. मृत्यु/दुर्घटना की दिनांक | — | |
| 6. नॉमिनी का नाम | — | |
| 7. सम्बन्ध | — | |
| 8. बैंक द्वारा प्रेषित सदस्यों की सूची में ऋणी का नाम क्र.स. | | पर अंकित है तथा समिति का
नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० यह सूची बैंक पत्र क्रमांक.....
दिनांक कुल समितियां सदस्य के साथ संलग्न है। |

बीमा प्रीमियम डीडी नं० दिनांक राशि द्वारा प्रेषित किया गया जिसकी
रसीद संख्या है।

दावा क्लेम शीघ्र स्वीकृत करवाकर दावा राशि प्रेषित करें ताकि नियमानुसार नॉमिनि को भुगतान किया जा
सकें।

संलग्न—1. मृत्यु प्रमाण पत्र

2. मृत्यु दावा क्लेम फार्म
3. पौस्टमार्टम रिपोर्ट
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट
5. परिशिष्ठ— अभियुक्त (ज्ञात/अज्ञात) विवरण
6. पहचान पत्र श्री
7. परिवार राशन कार्ड
8. समिति के बीमित सदस्य की सूची
9. सहकारी किसान कार्ड, 10 आधार कार्ड श्री.....

भवदीय

प्रबन्धक